


NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 113 /NCRES/19

Date : 15.04.2019

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री—एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय:— Hospital Leave/ Disability Leave.

महोदय,

NCRES का अनुरोध है कि कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाय।

वर्तमान में मिल रही सुविधा:— पहले 120 दिन तक Full Pay + Allowances एवं उसके बाद 24 माह तक Half Pay. यह छुट्टी किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पैरा 9.2.34 Special Disability Leave में आयोग द्वारा निम्न सिफारिश की गयी थी।


- (1) Hospital Leave, Special Disability Leave एवं Sick Leave को एक नयी Leave "WRIL" (Work Related Illness and Injury leave) का नाम दिया जायेगा।
- (2) Hospitalization के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन एवं Allowance दिया जायेगा।
- (3) अस्पताल से बाहर आने पर Civilian Employees, RPF Employees and personnel of Police Force of Union Territories को निम्न सुविधा दी जायेगी।
 - (a) For First 6 Months - Full Pay + Allowances
 - (b) उसके बाद 12 माह तक - Half Pay + Allowances.

नोट:— Half Pay को कर्मचारी के खाते की HAP से Commute किया जा सकता है।

वर्तमान में रेलवे बोर्ड द्वारा 7th CPC की सिफारिश को मान लिया गया है लेकिन अभी तक Hospital Leave/Disability Leave के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड से वार्ता कर 7th CPC की सिफारिश के अनुरूप Hospital Leave/Disability Leave के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से आदेश जारी कराया जाय ताकि कर्मचारियों को सुविधा मिल सके।

संलग्न:— 7th CPC का पैरा नं. 9.2.34 की प्रति।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री